प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौडगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स 93/22 दिनांक 21/3/2022

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, 13 (1) (बी.), 13 (2) पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं – 120बी. आई.पी.सी.,
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 403 समय 5.00 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 16.03.2022 समय 04.35 पी.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 15.03.2022 समय 12.30 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – मौखिक

5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग **280** किलोमीटर
(2) पता – कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, परिसर बेंगू जिला चित्तौडढ ।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ......
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता – (गोपनीय) जरिये मुखबीर खास

परिवादी

(1) नाम : –
(2) पिता का नाम : –
(3) आयु : –
(4) राष्ट्रीयता : –
(5) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि.........जारी होने की जगह................
(6) व्यवसाय : –
(7) पता : –

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा उम्र 42 साल निवासी मकान नम्बर ए.–10, जे.पी. कॉलोनी टोंक फाटक जयपुर हाल उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बेंगु जिला चित्तौडगढ ।
2. श्री रामधन गुर्जर, तहसीलदार, तहसील बेंगु जिला चित्तौडगढ ।
3. श्री मोहम्मद असलम कुरैशी पुत्र श्री मोहम्मद इब्राहीम कुरैशी उम्र 42 साल निवासी व्यापारी मौहल्ला, बस्सी जिला चित्तौडगढ हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कम रजिस्ट्री बाबू कार्यालय तहसीलदार बेंगू जिला चित्तौडगढ ।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	3,00,000 रूपये	दिनांक 15.03.2022 को

जरिये मुखबीर खास से सूचना प्राप्त हुई कि श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड बेंगू जिला चित्तौडगढ में काफी समय से पदस्थापित होकर उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है तथा उनकी आम शोहरत भी खराब है तथा भ्रष्ट प्रवृती का अधिकारी है तथा बिना लेन–देन के कोई कार्य नही करता है कि शिकायते ब्यूरो को काफी दिनो से प्राप्त हो रही थी जिस पर उक्त शिकायतों का सत्यापन करने हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान मय हमराहीयान के उपखण्ड कार्यालय बेंगू में स्थित परिसर की दिनांक 16.03.2022 को आकस्मिक चैकिंग की गई तो सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के कक्ष की तलाशी के दौरान उसकी टेबल की दराजो से कुल 03 लाख रूपये की संदिग्ध राशि बरामद हुई । उक्त संदिग्ध राशि के बार में सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री मोहम्मद असलम कुरैशी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ग्राम हरिपुरा के श्री चारभुजा मन्दिर से सम्बन्धित वाद नम्बर 45/2006 के शीघ्र निस्तारण/निर्णय देने की एवज में 03 लाख रूपये रिश्वत राशि श्री शम्भूलाल धाकड से एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा ने ग्राम हरिपुरा के श्री शम्भूलाल धाकड से प्राप्त कर मेरी टेबल की दराजों में रखवाये है। इस प्रकार मौके पर एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा को तलब किया गया तथा संदिग्ध राशि 03 लाख के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो उसने उक्त राशि के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया अनभिज्ञता जाहिर की जिस पर मौके पर श्री मोहम्मद असलम कुरैशी ने स्वतः ही एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा की उक्त बात का खण्डन करते हुए बताया कि उक्त 03 लाख रूपये की राशि एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा ने श्री शम्भूलाल धाकड से रिश्वत राशि के रूप में प्राप्त कर मन्दिर के वाद/प्रकरण का शिघ्र निस्तारण करने की एवज में प्राप्त किये है। इसी प्रकार ज्ञात हुआ कि उक्त कार्यवाही की भनक तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर को लग जाने से वह मौके से फरार हो गया। श्री मोहम्मद असलम कुरैशी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय बेगूं में पदस्थापित होकर रजिस्ट्री बाबू का भी चार्ज है, जो तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर के अधीनस्थ कर्मचारी होकर रिश्वत राशि उसके कब्जे से प्राप्त होने के कारण तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर की संलिप्तता के बगैर भ्रष्टाचार किया जाना सम्भव नहीं होने के कारण तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर की भूमिका भी उक्त प्रकरण में पूर्णतया संदिग्ध है जो अनुसंधान का विषय है। उक्त रिश्वत राशि 03 लाख रूपये श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के कब्जे से बरामद होने से उसे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी, बेगूं जिला चित्तोड़गढ़ व श्री रामधन गुर्जर, तहसीलदार, तहसील बेगूं जिला चित्तोड़गढ़ के विरूद्ध इनके बेगूं उपखण्ड में पदस्थापन के दौरान किए जा रहे भ्रष्ट क्रिया–कलापों के संबंध में परिवाद प्राप्त हुए, उनमें अंकित आरोपों के संबंध में भी गहन अनुसंधान किया जायेगा। इस प्रकार उक्त तीनों आरोपीगण श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी, बेगूं जिला चित्तोड़गढ़ व श्री रामधन गुर्जर, तहसीलदार, तहसील बेगूं जिला चित्तोड़गढ़ एवं श्री मोहम्मद असलम कुरैशी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रजिस्ट्री बाबू तहसील कार्यालय बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा एक लोकसेकव होते हुए अपने पद एवं अधिकारों को दुरूपयोग करते हुए आपसी मिलीभगत कर वैध कार्यो की एवज में अवैध पारितोषण प्राप्त कर एक दिवसीय चेक पिरीयड अवधि दिनांक 16.03.2022 को उत्कोचस्वरूप 03 लाख रूपये आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करन से उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13 (1) (बी.), 13 (2) पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018 एवं 120बी. आई.पी.सी. का अपराध कारित करना पृथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है ।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 3,00,000 रूपये उत्कोचस्वरूप (रिश्वत के रूप में) आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना।

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)